

प्रश्न सं. [क. 135]

विकास आयुक्त कार्यालय

परिशिष्ट -(अ)

मध्यप्रदेश भोपाल

12285

क्रमांक /सीएमएस- /22/वि-15/शिकायत/2016

भोपाल दिनांक 30/11/2019

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- राजगढ़
म.प्र.

विषय:- श्री सुभाष शर्मा, संविदा शिक्षक वर्ग-2 शा.कन्या हा.से.स्कूल सारंगपुर जिला राजगढ़ एवं श्रीमती सुषमा शर्मा, संविदा शिक्षक वर्ग-3 कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर की संविदा नियुक्ति के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण के संबंध में श्री सुभाष शर्मा, संविदा शिक्षक वर्ग-2 शा. कन्या हा.से.स्कूल सारंगपुर जिला राजगढ़ एवं श्रीमती सुषमा शर्मा, संविदा शिक्षक वर्ग-3 कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर की संविदा नियुक्ति के संबंध में पूर्व जांच रिपोर्ट जो श्री पुरुषोत्तम शर्मा तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मोहन बडोदिया जिला शाजापुर द्वारा की गई जांच को असत्य एवं निराधार मानते हुये परीक्षणोपरांत अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 15.04.19 को निरस्त की जा चुकी है। अतः उपरोक्त निलंबित कर्मचारी श्री सुभाष शर्मा, गोपाल स्वरूप शर्मा, संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 एवं सुषमा शर्मा वर्ग-3 को बहाल किये जाने एवं शिकायतकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किए जाने का कष्ट करें।

(सचिव द्वारा अनुमोदित।)


(सुरेश आर्य)

अतिरिक्त संचालक

(शिकायत, सतर्कता एवं ई.ओ.डब्ल्यू.)

विकास आयुक्त कार्यालय

मध्यप्रदेश भोपाल


भोपाल दिनांक 30/11/2019

12286

क्रमांक /सीएमएस- /22/वि-15/शिकायत/2016

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला शाजापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शाजापुर/राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अतिरिक्त संचालक

(शिकायत, सतर्कता एवं ई.ओ.डब्ल्यू.)

विकास आयुक्त कार्यालय

मध्यप्रदेश भोपाल